



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270763  
CG-DL-E-09032026-270763

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1149]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1149]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2026

**का.आ.1201(अ)**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि (जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है), गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

पूर्ववर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् महेसाना जिला, नायब कलेक्टर तथा खास जमीन संपादन, नर्मदा योजना, कडी.1, नर्मदा कोलोनी, नानी कडी रोड, कडी, महेसाणा और कैंप ओफिस, पुराना रेलवे एरिया ओफिसर ओफिस, पिलाजीगंज, महेसाना, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा ऐसा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा

ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि की रूपरेखा और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

### अनुसूची

गुजरात राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जन में आने अवसंरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम : महेसाणा

क.स.	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं./ब्लोक सं.		हेक्टर में क्षेत्रफल
1	2	3	4(a)	4(b)	5
1	महेसाणा	मोटीदारु	614		0.0110
2			202		0.0042
3			200		0.0060
4			623		0.0021
5			624.001		0.0130
6			624.002		0.0140
7			193.001		0.0090
8			193.002		0.0100
9			185		0.0064
10			184		0.0219
11			174		0.0210
12			171		0.0047
13			170		0.0009
14			168		0.0002
15			109		0.0419
16			124		0.0416
17			125		0.0377
18			183		0.0381
19			725		0.0127
20			2022		0.0013
21			175		0.1013
22	महेसाणा	जगुदन	566		0.1033

[फा.सं. 2026/एलएमएल-II /12/1/ डब्ल्यू सी /2510]

बी. के. जैन, कार्यकारी निदेशक/भूमि एवं सुविधाएँ

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2026

**S.O. 1201(E)**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land,(to this notification) the brief description of which has been specified in the Schedule annexed is required for execution of Special Railway Project, namely, the Western Dedicated Fright Corridor in the district of Mahesana in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Whereas any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection, to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose, under Sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Whereas Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Mahesana District Dy. Collector and Special Land Acquisition Office, Narmada Yojna, Kadi-1, Narmada Colony, Nanikadi road, Kadi, Mahesana and Camp Office, Old Railway Area Officer Office, Pilajiganj, Mahesana, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof and the such competent authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow the objections;

Whereas any order made by the competent authority under sub-section (2) of section-20D of the said Act, shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure for the special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of District: Mahesana

Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	Survey/Block No.		Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)
1	Mahesana	Moti Dau	614		0.0110
2			202		0.0042
3			200		0.0060
4			623		0.0021
5			624.001		0.0130
6			624.002		0.0140
7			193.001		0.0090
8			193.002		0.0100
9			185		0.0064

Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	Survey/Block No.		Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)
10			184		0.0219
11			174		0.0210
12			171		0.0047
13			170		0.0009
14			168		0.0002
15			109		0.0419
16			124		0.0416
17			125		0.0377
18			183		0.0381
19			725		0.0127
20			2022		0.0013
21			175		0.1013
22	Mehsana	Jagudan	566		0.1033

[F. No. 2026/LML-II/12/1/WC/2510]

B. K. JAIN, Executive Director (L &A)